राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण

- कुशल प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से आवास निर्माण कराने हेतु योजनांतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें आवास निर्माण के दौरान प्रथम चरण में लगभग 5 हजार चयनित आवासों में स्थानीय ग्रामीण हितग्राहियों को रूरल मेशन ट्रेनिंग दिया जायेगा।

योजनान्तर्गत फोटो अपलोड किया जाना

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत चयनित हितग्राही जिस मकान में निवास कर रहा हैं, उस मकान की वर्तमान स्थिति का चित्र (Photo) अथवा हितग्राही किसी दूसरे के मकान में निवास कर रहा है, तो जिस भूमि पर वह आवास निर्माण करना चाहता है, उस भूमि का चित्र (Photo) को आवास – सॉफ्ट में अपलोड किया जायेगा।
- यदि किसी परिवार का नाम SECC 2011 डाटा में सूचीबध्द नहीं है, परन्तु वास्तविकता में वह आवासहीन है, ऐसा ग्रामसभा द्वारा प्रमाणित किया गया है एवं आवास आबंटन हेतु अनुशंसा की गई है, ऐसे परिवारों की सूची पृथक से तैयार की जा रही है। भविष्य में ऐसे परिवारों के संबंध में जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय लेने के उपरांत आगामी वर्ष में आवास आबंटन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

तीनों स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत स्तर पर

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत SECC 2011 डाटा के अनुसार ग्रामसभा द्वारा ग्राम पंचायतवार कम से कम 4 वंचन सूचकांक वाले पात्र/अपात्र परिवारों की सूची पृथक–पृथक तैयार करना तथा इस सूची को जनपद पंचायत को प्रेषित करना।
- जिन हितग्राहियों का SECC 2011 डाटा में नाम शामिल नहीं है, किन्तु वह हितग्राही आवास के लिए पात्र है, उनकी सूची तैयार कर जनपद पंचायत में प्रेषित करना।

जनपद पंचायत स्तर पर

- जनपद पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतवार ग्रामसभा से अनुमोदित पात्र/ अपात्र हितग्राहियों की जानकारी संकलित कर जिला पंचायत के अनुमोदन के उपरांत आवास – सॉफ्ट में अपलोड करना।

जिला पंचायत स्तर पर

- जिला पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत से प्राप्त पात्र/अपात्र परिवारों की पृथक–पृथक सूची में से लक्ष्य के आधार पर जनपद पंचायतवार/ ग्राम पंचायतवार अनुमोदन कर लक्ष्य जनपद पंचायत को देना।

प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपनों को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ग्रामीण गरीबों को आवास सुविधा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awas Yojna- Grameen

मा. श्री अजय चंद्राकर,
मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के मुख्य बिन्दु

- एसईसीसी 2011 डाटा से ग्राम सभा द्वारा लाभार्थी का चयन।
- न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का टिकाऊ/आपदारोधी आवास के साथ रसोई तथा शौचालय।
- लाभार्थी को स्थानीय रूप से उचित एवं उपयोगी आवास डिजाईन चुनने का विकल्प।
- योजनांतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु अगर चाहे तो आवश्यकतानुसार रू. 70,000 तक बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।
- आवाससॉफ्ट एवं पी.एफ.एम.एस.के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सहायता का सीधा भुगतान।
- योजना के कियान्वयन एवं मॉनिटरिंग ऐप "आवास ऐप" की अनिवार्यता।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अगले पांच वर्षों तक आवासहीन परिवार+शून्य कमरे वाले परिवार+एक कमरे वाले/कच्ची छत/कच्ची दीवार वाले परिवार को ही आवास उपलब्ध कराया जायेगा। कम से कम एक कमरा पक्की छत सीमेंट कांक्रीट स्लैब निर्माण किया जाये।

पात्र परिवार की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण

वर्ष 2016–17 में पात्र हितग्राहियों का प्राथमिकता निर्धारण निम्नानुसार है–

- ☑ स्वतः शामिल परिवार (100 प्रतिशत)
- ☑ शून्य कमरे वाले परिवार 5326 (100 प्रतिशत)
- ☑ सभी 7 वंचन सूचकाक में शामिल–1438 (100 प्रतिशत)
- ☑ सांसद आदर्श ग्राम और रूरबन के चयनित ग्रामों में सभी पात्र हितग्राहियों को चिन्हाकित करना
- ☑ कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार+ निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार 22,773(100 प्रतिशत)
- ☑ कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते है (60 प्रतिशत)
- ☑ कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार+ महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है (40 प्रतिशत)
- ☑ शेष बचे लक्ष्य में हितग्राहियों का चिन्हांकन ODF ग्राम पंचायत में बढ़ते कम अनुसार प्राथमिकता का निर्धारण

आई.ए.पी. जिले में लाभ

बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव एवं कबीरधाम आई.ए.पी. जिले हैं जिनमे लाभ निम्नानुसार मिल रहा है–

- इकाई लागत 1.30 लाख
- महात्मा गांधी नरेगा से प्राप्त वित्तीय लाभ रू. 15,865/–
- महात्मा गांधी नरेगा से शौचालय रू. 12,000/–

कुल 1.57 लाख

सामान्य जिले में लाभ

बिलासपुर, मुंगेली, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, जांजगीर–चांपा, कोरबा, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार एवं सूरजपुर सामान्य जिले हैं, जिनमें लाभ निम्नानुसार मिल रहा है–

- इकाई लागत 1.20 लाख
- महात्मा गांधी नरेगा से प्राप्त वित्तीय लाभ रू. 15,030/–
- महात्मा गांधी नरेगा से शौचालय रू. 12,000/–

कुल 1.47 लाख

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत क्रमबद्ध मानव दिवस

निर्माण का स्तर	अकुशल श्रमिक मानव दिवस	
	सामान्य जिलों के लिए	IAP जिलों के लिए
प्लिंथ स्तर तक	28	30
प्लिंथ स्तर से लिंटल स्तर तक	24	25
लिंटल स्तर से छत स्तर तक	10	10
छत स्तर से पूर्ण होने तक	28	30
योग	90	95

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु ईंट और खपरा बनाने का कार्य करने वाले स्व–सहायता समूहों से सामग्री क्रय की जा सकती है तथा उनको महात्मा गांधी नरेगा के अकुशल श्रमिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है।

जिन हितग्राहियों के घर में पूर्व से शौचालय निर्मित है, उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु राशि की पात्रता नहीं होगी।